कार्या०२८ परिपत्र सं० 1617022 दि० 15-07-2016

पत्रांक-संग्रह-ज्वा0कमि0संग्रह-आर0सी0फीडिंग //(2016-2017)// 235 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक :: जुलाई, 15 ,2016

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

आप अवगत होगें कि वाणिज्य कर देयों की वसूली का कार्य प्रदेश के 20 जनपदों में वाणिज्य कर विभाग द्वारा एवं शेष 55 जनपदों में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। दिनांक 01-06-2013 से साफ्टवेयर में आर0सी0 माड्यूल के अन्तर्गत ऑनलाइन वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सम्प्रति विभाग के सभी वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध है। इन देयों की वसूली के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से आप सभी को यथोचित् निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया है कि उन्हें विभाग द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों की सही जानकारी नहीं हो पाती, अत: उक्त वसूली प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी की लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध कराने से वसूली प्रमाण पत्र वार समीक्षा एवं अनुश्रवण करने में सुविधा होगी। अत: सम्यक् विचारोपरांत विभाग के समस्त वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण जिलाधिकारियों की लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे निम्न प्रक्रिया के माध्यम से अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जा सकता है :-

1- सर्वप्रथम District Magistrate Login Form पर जा कर dropdown box से District Select करें तत्पश्चात् Password तथा Captcha भर कर लॉगिन करें।

2- लॉगिन करने के पश्चात Recovery Challan Detail प्राप्त करने हेतु Dropdown box से Assesment Year Select कर के Submit button click करें।

3- RC Detail Submit करने पर RC की Summary Report जिसमें District का नाम, RC की संख्या, RC की Total Amount , RC (Transporter), Total Amount (Transporter) प्रदर्शित होगी।

4- RC की Detail देखने के लिये RC की संख्या पर Click करने पर Tin No., Firm का नाम तथा पता, RC Amount की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

5- RC No. पर Click करने पर RC की Print Copy दृष्टिगत होगी जिसका Print भी लिया जा सकता है।

अत: कृपया उक्त नियत प्रक्रिया के माध्यम से अवगत होते हुए अपने अपने जिलों से संबंधित वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण करने का कष्ट करें। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो नियन्त्रण कक्ष के ई-मेल cthelplinehqlu-up@nic.in / दूरभाष संख्या- 0522-2721153 या अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल cctup2013@gmail.com / दूरभाष संख्या- 0522-2721147 एवं 2721149 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

15/07/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि राजस्व विभाग द्वारा वसूली किये जाने वाले जिलों के नियुक्त विभागीय नोडल अधिकारियों को तद्नुसार निर्देश जारी करने हेतु।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुये, कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु प्रेषित।

5- समस्त विभागीय वसूली के जनपद में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारियों कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/07/16

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।